# FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट )
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0222 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 01/10/2024 19:42 बजे

| S.No. (क्र.सं.) | Acts (अधिनियम) | Sections (धाराएँ) |
|---|---|---|
| 1 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित) | 7 |

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 23/09/2024 **Date To (दिनांक तक):** 30/09/2024
   **Time Period (समय अवधि):** पहर **Time From (समय से):** 11:30 बजे **Time To (समय तक):** 12:20 बजे
   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 01/10/2024 **Time (समय):** 18:00 बजे
   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 004 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 01/10/2024 19:42:26 बजे
4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित
5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** EAST, 22 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE
   (b) **Address(पता):** TAHSEL KARYALYA RAYTHAL, DISTRICT BUNDI
   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**
   **Name of P.S (थाना का नाम):** **District(State) (जिला (राज्य) ):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**
   (a) **Name(नाम):** BHNWAR LAL
   (b) **Father's Name (पिता का नाम):** LAKHA JI
   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1970 (d)**Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA
   (e) **UID No(यूआईडी सं.):**
   (f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
   **Date of Issue (जारी करने की तिथि):** **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**
   (g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण( राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

| S.No. | Id Type | Id Number |
|---|---|---|
| | | |

   (h) **Occupation (व्यवसाय):**
   (i) **Address(पता):**

| S.No. (क्र. सं.) | Address Type (पता का प्रकार) | Address (पता) |
|---|---|---|
| 1 | वर्तमान पता | MOR KHUDANA, RAYATHAL, रायथल, BUNDI, RAJASTHAN, INDIA |
| 2 | स्थायी पता | MOR KHUDANA, RAYATHAL, रायथल, BUNDI, RAJASTHAN, INDIA |

   (j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

**Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):**

| S.No. (क्र.सं.) | Name (नाम) | Alias (उपनाम) | Relative's Name (रिश्तेदार का नाम) | Address (पता) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HEMANT PALIWAL | | पिता:BHAGWATI PRASAD | 1. KODIJA,RAYTHAL,रायथल, BUNDI,RAJASTHAN,INDIA |

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**
9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण( यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

| S.No. (क्र.सं.) | Property Category (सम्पत्ति श्रेणी) | Property Type (सम्पत्ति के प्रकार) | Description (विवरण) | Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में)) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सिक्के और मुद्रा | रुपये | | 4,000.00 |

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
**(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में) ):** 4,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

| S.No. (क्र.सं.) | UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या) |
|---|---|

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
**(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

दिनांक 23.09.2024 को समय 11.30 ए.एम. पर परिवादी श्री भंवर लाल पुत्र लाखा जी उम्र 54 साल जाति बंजारा निवासी मोरखुदना तहसील रायथल जिला बूंदी उपस्थित ब्यूरो कार्यालय बूंदी आये तथा एक टाईपशुदा प्रार्थना पत्र श्री इस्माईल अंसारी सहायक उप निरीक्षक के समक्ष इस आशय का पेश किया कि "मैं गांव मोरखुदना तहसील रायथल जिला बून्दी का रहने वाला हॅू। मेरी ग्राम जगन्नाथपुरा पटवार हल्का गोठड़ा तहसील रायथल जिला बून्दी में जमीन है। जिसके खाता सं. नया 143, पुराना 138 तथा खसरा न0 189 है। जो करीब 2 बीघा 5 बिस्वा गैर खातेदारी जमीन है जो मेरे नाम है। शिविर में 7-8 साल पूर्व यह जमीन मेरे नाम हुई थी। मैं उक्त जमीन को गैर खातेदारी में दर्ज करवाकर के.सी.सी बनवाना चाहता हॅू। जिसकी एवज में हल्का पटवारी हेमन्त पालीवाल काफी समय से मेरी जमीन को खातेदारी में दर्ज करने की एवज में 5 हजार रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है। मैं गरीब आदमी हॅू, मेरे जायज काम के बदले पटवारी को रिश्वत नहीं देना चाहता बल्कि हल्का पटवारी हेमन्त पालीवाल पटवार हल्का गोठड़ा जिला बून्दी को लेते हुऐ रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हॅू। कार्यवाही करने की कृपा करें। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व अन्य अधिकारी अपराध गोष्ठी में सम्मिलित होने हेतु ब्यूरो मुख्यालय जयपुर मुकिम होने के कारण मेरे निर्देशानुसार श्री इस्माईल अंसारी सहायक उप निरीक्षक द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के बारे में परिवादी से पूछताछ की तो बताया कि मेरी खाते की जमीन के अलावा गैर खातेदारी की जमीन गांव जगन्नाथपुरा पटवार हल्का गोठडा में स्थित है, जिसके खसरा नं. 189 है। उक्त जमीन को गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज करवाने के लिए हल्का पटवारी हेमन्त पालीवाल से मिला तो उसने मुझसे इस कार्य के लिए 5 हजार रूपये रिश्वत की मांग की है। उक्त प्रार्थना पत्र में बाहर कम्प्यूटर वाले से टाईप करवाकर लाया हॅू, जिसका नाम पता मैं नही जानता। परिवादी को गोपनीयता रखने की हिदायत देकर श्री इस्माईल अंसारी सहायक उप निरीक्षक द्वारा कार्यालय से रूखसत किया गया। दिनांक 24.09.2024 को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व अन्य अधिकारी के बाद अपराध गोष्ठी के चौकी हाजा उपस्थित आने पर श्री इस्माईल अंसारी सहायक उप निरीक्षक द्वारा दिनांक 23.09.2024 को परिवादी श्री भंवर लाल पुत्र लाखा जी जाति बंजारा निवासी मोरखुदना तहसील रायथल जिला बून्दी द्वारा चौकी पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश किया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधी में आना पाये जाने से शिकायत में अंकित परिवादी के मोबाईल [redacted] से चौकी हाजा पर पदस्थापित श्री रामसिंह कानि. 78 को डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के परिवादी से सम्पर्क कर गोपनीय सत्यापन करवाने के निर्देश दिये गये। श्री रामसिंह कानि. 78 को कार्यालय के मालखाने से डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड निकलवाकर सुपुर्द कर रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु मोटर साईकिल से खटकड़ के लिए रवाना किया गया। श्री रामसिंह कानि. 78 मय डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के चौकी हाजा उपस्थित आया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड पेश कर अवगत कराया कि " मैने निर्देशानुसार परिवादी के मोबाईल नं. पर सम्पर्क किया एवं परिवादी से हुई वार्ता के अनुसार कस्बा खटकड़ पहुचा। जहाॅ परिवादी भंवर लाल उपस्थित मिला। जहाॅ से परिवादी को साथ लेकर मोटर साईकिल से तहसील कार्यालय रायथल के पास पहुचा। जहाॅ परिवादी को डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड चालू एवं सुपुर्द कर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु पटवारी के पास रवाना किया। मैं वहाॅ से थोडी दूरी पर गोपनीयता रखते हुये मुकिम रहा। करीब 46 मिनट बाद परिवादी मेरे पास आया और बताया कि मेरी पटवारी जी से वार्ता हो गई है। परिवादी से डिजिटल वाईस रिकार्ड लेकर उसे बंद करके अपने पास सुरक्षित रखा तथा परिवादी ने बताया कि वह मेरी जमीन को गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज करने की एवज में 4-5 हजार रूपये लेने पर सहमत हुआ है साथ ही परिवादी ने बताया कि मेरे घर पर आवश्यक कार्य होने से मैं बून्दी नही चल सकता। जिस पर परिवादी को गोपनीयता रखने की हिदायत दी गई एवं रवाना होकर डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के कस्बा रायथल से रवाना होकर कार्यालय हाजा पहुचा। डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश करने पर रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो आरोपी द्वारा परिवादी से उसकी जमीन को खातेदारी में दर्ज करने सम्बन्धी वार्ता होना पाया गया है। परन्तु रिश्वत राशि के सम्बन्ध में स्पष्ट वार्ता का अभाव है। अतः पुनः सत्यापन करवाकर तथ्यों को स्पष्ट किया जायेगा। डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को सुरक्षित मालखाने में रखवाया गया। दिनांक 26.09.2024 को श्री रामसिंह

कानि. 78 को मालखाने से डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड निकलवाकर सुपुर्द कर परिवादी से सम्पर्क कर रिश्वत मांग का स्पष्ट सत्यापन करवाने के निर्देश देकर मोटर साईकिल से कस्बा गेण्डोली रवाना किया गया। श्री रामसिंह कानि. 78 मय डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड मय परिवादी भंवर लाल के चौकी हाजा उपस्थित आया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड पेश कर अवगत कराया कि " मैने निर्देशानुसार परिवादी के मोबाईल नं. पर सम्पर्क किया एवं परिवादी से हुई वार्ता के अनुसार कस्बा गेण्डोली में बुलाकर अवगत कराया कि आज पटवारी हेमन्त पालीवाल मीटिंग में गेण्डोली आया हुआ है तथा वही पर रिश्वत सम्बन्धी बातचीत हो सकेगी। इस पर मैं परिवादी भंवर लाल को साथ लेकर मोटर साईकिल से कस्बा गेण्डोली पहुचा। जहाँ परिवादी को डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड चालू एवं सुपुर्द कर स्पष्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु पटवारी के पास समय करीब 01.30 पी.एम. पर रवाना किया। मैं वहाँ से थोडी दूरी पर गोपनीयता रखते हुये मुकिम रहा। समय करीब 01.40 पी.एम. पर परिवादी मेरे पास आया और बताया कि मेरी पटवारी जी से वार्ता हो गई है। परिवादी से डिजिटल वाईस रिकार्ड लेकर उसे बंद करके अपने पास सुरक्षित रखा तथा परिवादी ने बताया कि बातचीत के दौरान पटवारी ने मेरे से 1000/-रूपये ले लिये है। परन्तु शेष राशि के बारे में स्पष्ट नही किया है। जिस पर परिवादी को पुनः रिश्वत के सम्बन्ध में स्पष्ट वार्ता हेतु समय करीब 02.00 पी.एम पर डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड चालू कर आरोपी के पास रवाना किया गया। मैं वहाँ से थोडी दूरी पर गोपनीयता रखते हुये मुकिम रहा। समय करीब 02.05 पी.एम. पर परिवादी मेरे पास आया और बताया कि मेरी पटवारी जी से वार्ता हो गई है। परिवादी से डिजिटल वाईस रिकार्ड लेकर उसे बंद करके अपने पास सुरक्षित रखा पूछने पर परिवादी ने बताया कि पटवारी जी ने शेष राशि 4000/-रूपये की मांग की है। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में पूछने पर परिवादी ने प्रार्थना पत्र स्वंय के द्वारा बाहर से टाईप करवाना तथा प्रार्थना पत्र पर स्वंय के द्वारा अंगुठा निशानी होने की ताईद की गई तथा साथ ही अवगत कराया कि आरोपी पटवारी कल मुझसे शेष रिश्वत राशि प्राप्त करेगा। इस पर डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता को कार्यालय के लेपटॉप में लेकर सुना गया तो परिवादी व श्री रामसिंह कानि. के द्वारा बताये गये कथनों की पुष्टि होना पाया गया। इस पर डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को मालखाने में सुरक्षित रखवाया गया एवं परिवादी द्वारा बताये गये कथनों के अनुसार कल दिनांक 27.09.2024 को ट्रेप कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है अतः कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह तलब किये जायेगें। परिवादी को कार्यालय में मुकिम रहने की हिदायत दी गई। ट्रेप कार्यवाही के लिये दो स्वतंत्र गवाहान की तलबी हेतु कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बूंदी के नाम तहरीर जारी कर गवाह लाने के लिये श्रीमती हेमेन्द्रा महिला कानि. 416 को रवाना किया गया। श्रीमती हेमेन्द्रा महिला कानि. 416 कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बूंदी से दो स्वतंत्र गवाह लेकर ब्यूरो कार्यालय आयी। दोनों स्वतंत्र गवाहान से नाम पते पूछे गये तो एक ने अपना नाम पता श्री मनोज कुमार चावरिया पुत्र श्री कजोड़ लाल उम्र 40 साल जाति हरिजन निवासी बस स्टेण्ड के पास हिण्डोली, जिला बून्दी हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बून्दी, जिला बून्दी मोबाईल नं. [redacted] व दुसरे ने अपना नाम श्री देवराज पुत्र श्री हरचंद जाति मीणा उम्र 30 साल निवासी बटवाडी पोस्ट पेच की बावड़ी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बून्दी, जिला बून्दी मोबाईल नं. [redacted] होना बताया। दोनो स्वतंत्र गवाहान का परिचय कार्यालय में मुकीम परिवादी से करवाया गया। परिवादी द्वारा दिनांक 23.09.2024 को पेश किये गये टाईपशुदा प्रार्थना पत्र को पढकर सुनाया, गवाहान ने प्रार्थना पत्र को पढकर अपने अपने हस्ताक्षर किये तथा कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाहान रहने की सहमति व्यक्त की। दोनों स्वतंत्र गवाहान को कल दिनांक 27.09.2024 को समय 10.00 ए.एम. पर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत देकर रूखसत किया गया तथा परिवादी को रिश्वत राशि की व्यवस्था कर लाने के लिए रवाना किया गया। दिनांक 27.09.2024 को पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाहान व परिवादी चौकी हाजा उपस्थित आये। परिवादी ने बताया कि मांग के अनुसार 4000 रूपये रिश्वत राशि की व्यवस्था कर साथ लेकर आया हूँ। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अग्रिम कार्यवाही में व्यस्त हुई। दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री भंवर लाल पुत्र श्री लाखा जी उम्र 54 साल जाति बंजारा निवासी मोरखुदना तहसील रायथल जिला बून्दी ने अपने पास से भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 08 नोट कुल 4,000 रूपये मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश किये। जिनका विवरण इस प्रकार है - क्र.स. नोट का विवरण नोट का नम्बर 1 एक नोट पांच सौ रूपये 4 CG 849553 2 एक नोट पांच सौ रूपये 0 NL 771476 3 एक नोट पांच सौ रूपये 6 SL 748318 4 एक नोट पांच सौ रूपये 8 PF 653922 5 एक नोट पांच सौ रूपये 0 PS 785129 6 एक नोट पांच सौ रूपये 7 BG 504450 7 एक नोट पांच सौ रूपये 2 WE 549877 8 एक नोट पांच सौ रूपये 0 QH 411303 उक्त नोटों के नम्बर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं गवाहान के द्वारा पुनः चैक किये गये तो नोटो के नम्बर उपरोक्तानुसार ही पाये गये। श्री इस्माईल अंसारी सहायक उप निरीक्षक से कार्यालय के मालखाना से फिनोफ्थलीन पावडर की शीशी निकलवाई गई तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कमरे की टेबल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त नोटों को रखकर सभी नोटो पर इस्माईल अंसारी सहायक उप निरीक्षक से अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी भंवर लाल की जामा तलाशी गवाह श्री मनोज कुमार चांवरिया से लिवाई गई। परिवादी के पास उसके मोबाईल फोन के अतिरिक्त अन्य कोई

दस्तावेज/राशि/वस्तु नही पाई गई। तत्पश्चात परिवादी श्री भंवर लाल के पहनी हुई शर्ट के सामने की बायीं जेब में उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त नम्बरी नोटो को इस्माईल अंसारी सहायक उप निरीक्षक से रखवाये गये। एक प्लास्टिक के गिलास में साफ पानी मंगवाया जाकर उसमे सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया जाकर उक्त घोल में इस्माईल अंसारी सहायक उप निरीक्षक की फिनोफ्थलीन युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया, जिस पर परिवादी भंवर लाल व स्वतंत्र गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपी उक्त पाउडर लगे नोटो को छुयेगा तो उसके हाथों में फिनोफ्थलीन पाउडर लग जायेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह साबित होगा कि उसने रिश्वत राशि को प्राप्त किया है। इसके बाद उक्त प्लास्टिक के गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया गया। इस्माईल अंसारी सहायक उप निरीक्षक से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी वापस मालखाना में रखवाई गई तथा जिस अखबार पर रखकर नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया था उस अखबार को जलवाया गया। इस्माईल अंसारी सहायक उप निरीक्षक के दोनों हाथों को साबुन व साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, परिवादी, दोनो स्वतंत्र गवाहान व समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा ट्रेप बॉक्स में रखी खाली शीशीया, ढक्कन, प्लास्टिक के गिलास व चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से धुलवाया गया। परिवादी को छोडकर सभी की आपस में जामा तलाशी लिवाई जाकर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नही पाई गई। परिवादी श्री भंवर लाल को रिश्वत लेन देन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने हेतु डिजिटल वॉईस रिकार्डर को चलाने व बन्द करने की विधि पुनः समझा कर सम्भलाया गया। परिवादी श्री भंवर लाल को समझाइश की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वत लेने के बाद श्री रामसिंह कानि 78 की ओर अपने सिर पर हाथ फेरकर इशारा करें। उक्त दृष्टांत कार्यवाही की फर्द पृथक से मूर्तिब कर शामिल कार्यवाही की गई। तत्पश्चात श्री रामसिंह कानि. 78 व श्री मनोज कुमार कानि. 452 को प्राईवेट मोटर साईकिल से आगे-आगे रवाना कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी, दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं एसीबी जाप्ता श्रीमती टिंकू महिला कानि. 474, श्रीमती हेमेन्द्रा महिला कानि. 416, चालक प्रेमप्रकाश कानि. 350 के सरकारी वाहन बोलेरो से मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर, ईयरफोन एवं ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाली अन्य सामग्री के एवं श्री ज्ञानचन्द उप अधीक्षक पुलिस, श्री जितेन्द्र सिंह कानि. 413 को प्राईवेट वाहन से ट्रेप कार्यवाही हेतु तहसील कार्यालय रायथल रवाना हुये। श्री हरीश भारती उप अधीक्षक पुलिस को कार्यालय में रहने की हिदायत दी गई। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी, स्वतंत्र गवाहान, एसीबी जाप्ते के सरकारी वाहन बोलेरो व प्राइवेट वाहन तथा मोटरसाइकिल से तहसील कार्यालय रायथल के पहले आम रोड पर पहुचें, जहां परिवादी भंवर लाल को तहसील कार्यालय रायथल में आरोपी पटवारी के पास रिश्वत लेन-देन हेतु रवाना किया तथा परिवादी की निगरानी हेतु श्री राम सिंह कानि. 78 व श्री मनोज कुमार कानि. 452 को मोटर साइकिल से परिवादी से कुछ दूरी पर मुकीम रहकर निगरानी करने के निर्देश देकर रवाना किया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं एसीबी जाप्ता श्रीमती टिंकू कवंर महिला कानि. 474 एवं श्रीमती हेमेन्द्रा महिला कानि. 416, चालक प्रेमप्रकाश कानि. 350 के सरकारी वाहन बोलेरो एवं दुसरे प्राइवेट वाहन में श्री ज्ञानचन्द उप अधीक्षक पुलिस, श्री जितेन्द्र सिंह कानि. 413 कस्बा रायथल में अपनी उपस्थिति छुपाते हुये रोड पर साइड में परिवादी के इशारे/सूचना की प्रतीक्षा में मुकीम रहे। समय 12.30 पी.एम. पर परिवादी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैं डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर रवाना होकर तहसील कार्यालय रायथल में गया तो वहाँ आरोपी पटवारी हेमन्त पालीवाल उपस्थित नही था। वहाँ पर किसी परिचित से पटवारी जी के बारे में पूछने पर ज्ञात हुआ कि पटवारी जी आज तहसील कार्यालय में नही आये है तथा आने की सम्भावना भी नही है। क्योकि वह किसी परीक्षा के मामले में बून्दी गये हुये है। परिवादी द्वारा बताई गयी सूचना के आधार पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने जाप्ता को एकत्रित किया व परिवादी सहित सभी को साथ लेकर मय टीम के कस्बा रायथल से रवाना होकर एसीबी चौकी बून्दी पहुची। परिवादी की जेब में रखे पाउडर लगे नोट 4000/-रूपये स्वतंत्र गवाह श्री मनोज कुमार चांवरिया से बाहर निकलवाकर एक कागज के लिफाफे में रखवाकर सुरक्षित मालखाने में रखवाये गये। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अग्रिम कार्यवाही में मसरूफ हुई। परिवादी श्री भंवर लाल तथा आरोपी हेमन्त पालीवाल पटवारी पटवार हल्का गोठडा तहसील रायथल जिला बून्दी के मध्य दिनांक 24.09.2024 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता प्रथम जो डिजिटल वाईस रिकार्डर के मैमारी कार्ड में रिकार्डशुदा है। उक्त वार्ता को परिवादी व स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में सरकारी लेपटॉप के जरिये सुना जाकर वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट मेरे निर्देशन में श्रीमती हेमेन्द्रा महिला कानि 416 से तैयार करवाई गई। परिवादी श्री भंवर लाल तथा आरोपी हेमन्त पालीवाल पटवारी पटवार हल्का गोठडा तहसील रायथल जिला बून्दी के मध्य दिनांक 26.09.2024 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता द्वितीय जो डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्डशुदा है। उक्त वार्ता को परिवादी व स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में सरकारी लेपटॉप के जरिये सुना जाकर वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट मेरे निर्देशन में श्रीमती हेमेन्द्रा महिला कानि 416 से तैयार करवाई गई। परिवादी श्री भंवर लाल तथा आरोपी हेमन्त पालीवाल पटवारी पटवार हल्का गोठडा तहसील रायथल जिला बून्दी के मध्य दिनांक 26.09.2024 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तृतीय जो डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्डशुदा है। उक्त वार्ता को परिवादी व स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में सरकारी लेपटॉप के जरिये सुना जाकर वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट मेरे निर्देशन में

श्रीमती हेमेन्द्रा महिला कानि 416 से तैयार करवाई गई। दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी को दिनांक 30.09.2024 को प्रातः 10 बजे चौकी हाजा उपस्थित आने की हिदायत कर कार्यालय से रूखसत किया गया। दिनांक 30.09.2024 को पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाहान व परिवादी चौकी हाजा उपस्थित आने पर चौकी के मालखाने से रिश्वत राशि के पाउडरयुक्त नोट निकलवाये जाकर स्वतंत्र गवाह मनोज कुमार चावरिया से परिवादी की पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब में रखवाये जाकर आवश्यक निर्देश दिये गये। परिवादी को डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर वक्त रिश्वत लेन देन वार्ता को रिकार्ड करने तथा आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने के पश्चात सिर पर हाथ फेरकर इशारा करने के निर्देश दिये गये। श्री रामसिंह कानि. 78 व श्री मनोज कुमार कानि. 452 को प्राईवेट मोटर साईकिल से आगे-आगे रवाना कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी, दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं एसीबी जाप्ता श्री जितेन्द्र सिंह कानि. 413, चालक प्रेमप्रकाश कानि. 350 के सरकारी वाहन बोलेरो से मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर, ईयरफोन एवं ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाली अन्य सामग्री के एवं श्री ज्ञानचन्द उप अधीक्षक पुलिस, श्रीमती हेमेन्द्रा महिला कानि. 416 को प्राईवेट वाहन से ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना होकर तहसील कार्यालय रायथल के पहले आम रोड पर पहुचें, जहां परिवादी भंवर लाल को तहसील कार्यालय रायथल में आरोपी पटवारी के पास रिश्वत लेन-देन हेतु रवाना किया तथा परिवादी की निगरानी हेतु श्री राम सिंह कानि. 78 व श्री मनोज कुमार कानि. 452 को मोटर साइकिल तथा श्री जितेन्द्र सिंह कानि. 413 को पैदल-पैदल परिवादी से कुछ दूरी पर मुकीम रहकर निगरानी करने के निर्देश देकर तहसील कार्यालय रायथल रवाना किया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं एसीबी जाप्ता चालक प्रेमप्रकाश कानि. 350 के सरकारी वाहन बोलेरो एवं दुसरे प्राइवेट वाहन में श्री ज्ञानचन्द उप अधीक्षक पुलिस, श्रीमती हेमेन्द्रा महिला कानि. 416 कस्बा रायथल में अपनी उपस्थिति छुपाते हुये रोड पर साइड में परिवादी/जाप्ते के इशारे/सूचना की प्रतीक्षा में मुकीम रहे। श्री मनोज कानि. 452 ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये मोबाईल कॉल करके आरोपी द्वारा रिश्वत प्राप्त कर लेने बाबत सूचित किया । इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आस पास मुकीम ब्यूरो टीम को एकत्रित कर श्री ज्ञानचन्द उप अधीक्षक मय श्रीमती हेमेन्द्रा महिला कानि. 416 को प्राईवेट वाहन से आरोपी को डिटेन करने हेतु रवाना कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराह स्वतंत्र गवाहान व चालक प्रेमप्रकाश के सरकारी वाहन से रवाना होकर तहसील कार्यालय रायथल के परिसर में पहुची। परिसर के बाहर श्री जितेन्द्र सिंह कानि. 413 मय परिवादी भंवर लाल के उपस्थित मिले। श्री जितेन्द्र सिंह कानि. से डिजिटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी से पूछने पर बताया कि अभी थोडी देर पहले पटवारी हेमन्त पालीवाल ने मेरी गैर खातेदारी जमीन को खातेदारी में दर्ज करने की एवज में 04 हजार रूपये मांग कर कक्ष से बाहर आकर प्राप्त किये है और अपने पर्स में रख कर वापस सरकारी कक्ष में चला गया। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दोनो स्वतंत्र गवाहान मय टीम के परिवादी के बताये हुये कक्ष में पहुची, परिसर के अंदर सरकारी कक्ष में श्री ज्ञानचन्द उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशानुसार श्री रामसिंह कानि. 78, श्री मनोज कुमार कानि. 452, आरोपी व्यक्ति के कलाई के उपर से हाथ पकड़े मिले। आरोपी से श्री ज्ञानचंद उप अधीक्षक पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही थी। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी से प्राप्त की गई रिश्वत राशि के सम्बध मे पूछा तो आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त कर स्वंय की जैब मे रखा होना स्वीकार किया। परिवादी भंवर लाल से ली गई रिश्वत राशि 4000/-रूपये के सम्बध मे आरोपी हेमन्त पालीवाल से पूछने पर बताया कि भंवर लाल मेरे पास कई दिनों से जमीन को खातेदारी मे दर्ज करवाने मेरे पास आ रहा था। उसकी ग्राम जगन्नाथपुरा में करीब 2.5 बीघा जमीन है जो गैर खातेदारी में दर्ज है उस जमीन को खातेदारी में दर्ज करवाना चाह रहा था। दिनांक 26.09.2024 को सत्यापन के दौरान लिये गये 1000 रूपये के सम्बन्ध में पूछने पर आरोपी हेमन्त पालीवाल ने बताया कि भंवर लाल 1000 रूपये अपनी मर्जी से देकर गया था। जो मेरे पास से खर्च हो गये है। आरोपी द्वारा परिवादी से प्राप्त की गई रिश्वत राशि 4000 रूपये के बारे में पुनः पुछताछ की गई तो आरोपी द्वारा रिश्वत राशि के सम्बन्ध में बताया कि भंवर लाल ने स्वंय की मर्जी से दिये है जो मैनें ले लिये है तथा स्वंय की गलती स्वीकार की गई। मौके पर उपस्थित परिवादी ने आरोपी की बातों का खण्डन करते हुये बताया कि मेरे स्वंय के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज जमीन खसरा नं. 189 रकबा 0.34 हैक्टर ग्राम जगन्नाथपुरा पटवार हल्का गोठडा तहसील रायथल में स्थित है। उक्त जमीन पर पटवारी की मोका रिपोर्ट के उपरांत गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज करवाने की कार्यवाही के क्रम में मैं कई बार पटवारी से मिला हर बार पटवारी जी मुझसे पैसे की मांग करते थे। जिससे परेशान होकर मैनें एसीबी में शिकायत करी थी। शिकायत के सत्यापन दिनांक 26.09.2024 को पटवारी जी ने मुझसे 1000 रूपये प्राप्त कर शेष 4000 रूपये लेकर बुलाया था। मेनें मर्जी से कोई रिश्वत राशि नही दी। आरोपी हेमन्त पालीवाल के हाथों का धोवन लिया जाने आवश्यक होने से कक्ष में रखे पानी के मटके से एक साफ जग में साफ पानी मंगवाकर दो साफ प्लास्टिक के गिलासों में पानी भरवाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार किया गया तथा बारी-बारी से आरोपी के दोनो हाथो की अंगुलियो का धोवन लिया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिन्हें अलग-अलग 04 कांच की शीशीयों में सील मोहर कर मार्क क्रमशः आर.एच-1, आर.एच-2 व एल.एच-1, एल.एच-2 अंकित कर चिट पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। स्वतंत्र गवाहान श्री मनोज कुमार चांवरिया से आरोपी हेमन्त पालीवाल की तलाशी लिवाई गई तो उसकी पहनी हुई पेंट की पीछे की दाहिनी जेब में एक काले रंग का पर्स मिला जिसके उपर अंग्रेजी

में Levis लिखा हुआ है। पर्स को खोलकर चैक किया तो उसमें 500-500 रू के 8 नोट कुल 4000/- रूपये मिले। उक्त नोटो के नम्बरो का मिलान दोनो गवाहो से फर्द पेशकशी व दृष्टांत में अंकित नोटों के नम्बरों से करवाया तो गवाहान ने नोटो के नम्बर फर्द में अंकित नोटों के नम्बरों से मिलान किये तो सभी नोट हु ब हु रिश्वती राशि के नोट होना पाया गया। उक्त सभी नोटो को एक कागज के लिफाफे में रखकर, विवरण अकिंत कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। आरोपी की तलाशी में सामने की टेबल पर एक मोबाईल वीवो कम्पनी मॉडल नं. V2336 आरेंज गोल्डन कलर मोबाईल जिसमें दो सीम लगी हुई पाया गया है उक्त सीमो के नम्बर [redacted] व [redacted] होना पाया गया। उक्त मोबाईल से परिवादी एवं आरोपी के मध्य ट्रेप कार्यवाही से पूर्व बातचीत होना सामने आया है अतः मोबाईल को बतौर वजह सबूत जब्त कर कब्जे ब्यूरो लिया जाकर कपडे की थैली में सील्ड मोहर कर मार्क-एम अंकित किया गया। आरोपी की पेंट की जेब में रखे पर्स में बरामदशुदा रिश्वत राशि के अतिरिक्त 1,220 रूपये, आरोपी की वोटर आई.डी., आधार कार्ड, बी.ओ.बी. ए.टी.एम. कार्ड, एस.बी.आई. ए.टी.एम. कार्ड, विजा कार्ड, एच.डी.एफ.सी. ए.टी.एम. कार्ड मिलें, आरोपी से नकद मिली राशि 1220 रूपये के बारे में पूछने पर स्वंय के खर्चे के होना बताया। उक्त राशि मय कार्डो के सुरक्षार्थ कब्जे ब्यूरो लिया गया । एक अन्य प्लास्टिक के गिलास में साफ पानी भरवाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार कर उक्त घोल में आरोपी हेमन्त पालीवाल के कब्जे से बरामद काले रंग का पर्स के अंदर जहाँ से रिश्वत राशि बरामद हुई उस स्थान को कोटन से साफ करवाकर कोटन को घोल में डूबाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे दो कांच की शीशियो मे आधा-आधा डालकर शीशियो को सील मुहर किया जाकर मार्क पी-1, पी.-2 अंकित कर चिट पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये। पर्स व कोटन को अलग-अलग कपडे की थैली में रखकर पृथक-पृथक सील मोहर कर पर्स के सील पैकैट पर मार्क-पी तथा कोटन की चिंदी की सील पैकेट पर मार्क-सी अंकित कर कब्जे ब्यूरो लिया गया। आरोपी एवं परिवादी के मध्य हुई रिश्वत लेन देन वार्ता को डिजिटल वाईस रिकार्डर से सरकारी लेपटॉप में लिवाया जाकर वार्ता को सुना गया तो रिकार्ड वार्ता में परिवादी व आरोपी के मध्य रिश्वत लेन देन की वार्ता रिकार्ड होना पाया गया। कार्यवाही की विडियो रिकार्डिंग विधिक प्रावधानों के तहत स्वंतत्र गवाहो की उपस्थिति में श्रीमती हेमेन्द्रा महिला कानि. 416 से तैयार करवाई गई। उक्त रिकार्डिंग जो मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है को सुरक्षित रखवाया गया। आरोपी हेमन्त पालीवाल पटवारी पटवार हल्का गोठडा अतिरिक्त चार्ज रायथल तहसील रायथल जिला बून्दी द्वारा परिवादी भंवर लाल से ग्राम जगन्नाथपुरा पटवार हल्का गोठड़ा तहसील रायथल जिला बून्दी में स्थित जमीन जिसके खसरा न0 189 की मौका निरीक्षण रिपोर्ट तैयार कर उक्त भूमि को गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज करवाने की कार्यवाही पूर्ण करने की एवज में रिश्वत की मांग कर, दिनांक 26.09.2024 को दौराने सत्यापन परिवादी से 1000रूपये प्राप्त किये एवं आज दिनांक 30.09.2024 को ट्रेप कार्यवाही के दौरान शेष 4000रूपये रिश्वत राशि प्राप्त की गई जो आरोपी की पहनी हुई पेंट की जेब में रखे काले रंग के पर्स से बरामद की गई है। आरोपी का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में दण्डनीय अपराध पाया गया। फर्द बरामदगी तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। आरोपी हेमन्त पालीवाल पटवारी को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 24.09.2024 प्रथम व दिनांक 26.09.2024 की रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता द्वितीय व रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तृतीय तथा दिनांक 30.09.2024 की रिश्वत लेन-देन वार्ता को लेपटॉप के जरिये चलाकर वार्ताओं के अंश सुनाये गये एवं आरोपी हेमन्त पालीवाल पटवारी को अपनी आवाज का नमूना दिये जाने के सम्बंध में गवाहान के समक्ष लिखित में जरिये फर्द नोटिस दिया गया तो आरोपी हेमन्त पालीवाल पटवारी ने अपनी प्रत्युत्तर में लिखित में पेश किया कि "मैं अपनी स्वैच्छा से आवाज का नमूना नही देना चाहता हूँ।" नोटिस पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। आरोपी श्री हेमन्त पालीवाल पटवारी की जामा तलाशी के दौरान स्वंय की टेबल पर रखा हुआ मोबाईल वीवो कम्पनी मॉडल नं. V2336 को एक कागज के लिफाफ मे रखकर जप्त कर कब्जे ब्यूरो लिया गया। आरोपी श्री हेमन्त पालीवाल पटवारी पटवार हल्का गोठडा अतिरिक्त चार्ज रायथल तहसील रायथल जिला बून्दी के विरूद्ध जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रमाणित पाया जाने पर जरिये फर्द आरोपी को गिरफ्तार कर हिरासत ब्यूरो लिया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी भंवर लाल की निशादेही पर दोनो स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में रिश्वत राशि बरामदगी स्थल एवं ट्रेप कार्यवाही विवरण का नक्शा मौका तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। परिवादी श्री भंवर लाल तथा आरोपी हेमन्त पालीवाल पटवारी के मध्य दिनांक 30.09.2024 को हुई रिश्वत लेनदेन वार्ता जो डिजिटल वाईस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकार्डशुदा है। उक्त वार्ता को परिवादी व स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में सरकारी लेपटॉप के जरिये सुना गया एवं रिकार्डशुदा वार्ता की परिवादी भंवर लाल से पहचान करवाई जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट मेरे निर्देशन में श्रीमती हेमेन्द्रा महिला कानि 416 से तैयार करवाई गई। परिवादी श्री भंवर लाल तथा आरोपी हेमन्त पालीवाल पटवारी के मध्य दिनांक 24.09.24 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता प्रथम जो मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है व दिनांक 26.09.2024 को 02 बार हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता द्वितीय व तृतीय जो डिजिटल वाईस रिकार्ड में रिकार्ड है तथा दिनांक 30.09.2024 को हुई वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता जो मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है सहित कुल 4 रिकार्ड वार्ताओं को परिवादी भंवर लाल द्वारा ए0सी0बी0 बून्दी के डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया था। उक्त चारो वार्ताऐं डिजिटल वाईस रिकार्डर व मूल मैमारी कार्ड में रिकार्ड है। श्रीमती हेमेन्द्रा महिला

कानि. 416 से मेरे निर्देशन में सरकारी लेपटॉप की मदद से डिजिटल वाईस रिकार्डर व मूल मैंमोरी कार्ड में रिकार्ड चारां वार्ताओं को 03 पेन ड्राईव (EVM Enstore USB 2.0½ कार्ड में पृथक-पृथक डब्ड (Copy) किया गया। कार्यवाही की फर्द तैयार कर शामिल पत्रावली की गई एवं मूल डिजिटल वाईस रिकार्डर व मैमोरी कार्ड एवं डब्डशुदा पेन ड्राईव की हैश वेल्यू श्रीमती हेमेन्द्रा महिला कानि. 416 द्वारा निकालकर पेश करने पर शामिल पत्रावली की गई। आरोपी हेमन्त पालीवाल पटवारी द्वारा परिवादी से ली गई रिश्वत राशि के उपरांत बरामद रिश्वत राशि की श्रीमती हेमेन्द्रा महिला कानि. 416 द्वारा स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में स्वंय के मोबाईल में लगे सरकारी मैमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी। जिसे सरकारी लेपटॉप में लिवाई जाकर रिकार्डिंग को मैमोरी कार्ड से पेन ड्राईव में लिया जाकर डब्ड किया गया है। उक्त मूल मैमोरी कार्ड व डब्ब पेन ड्राईव को पृथक-पृथक कपडे की थैली में रखकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। मौके की कार्यवाही के बाद मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी, स्वतंत्र गवाहान तथा एसीबी जाप्ते के आरोपी हेमन्त पालीवाल पटवारी को हमराह लेकर एवं जप्तशुदा रिश्वत राशि मय आर्टिकल लेकर सरकारी/प्राइवेट वाहनों से ब्यूरो कार्यालय बूंदी आयी। कार्यवाही में जप्त रिश्वत राशि मय आर्टिकल्स को मालखाना प्रभारी श्री देवेन्द्र सिंह हैड कानि. 106 के जरिये जमा मालखाना करवाया गया। परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान को कार्यालय से रूखसत किया गया। अब तक की कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी हेमन्त पालीवाल पटवारी पटवार हल्का गोठडा अतिरिक्त चार्ज रायथल तहसील रायथल जिला बून्दी द्वारा परिवादी भंवर लाल से ग्राम जगन्नाथपुरा पटवार हल्का गोठड़ा तहसील रायथल जिला बून्दी में स्थित जमीन खसरा न0 189 की गैर खातेदारी की भूमि को खातेदारी में परिवर्तन करने की प्रक्रिया में भूमि की मौका निरीक्षण रिपोर्ट तैयार कर उक्त भूमि को गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज करवाने की कार्यवाही पूर्ण करने की एवज में रिश्वत की मांग कर, दिनांक 26.09.2024 को दौराने सत्यापन परिवादी से 1000रूपये प्राप्त किये एवं दिनांक 30.09.2024 को ट्रेप कार्यवाही के दौरान शेष 4000रूपये रिश्वत राशि प्राप्त की गई जो आरोपी की पहनी हुई पेंट की जेब में रखे काले रंग के पर्स से बरामद की गई है। ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी की दोनो हाथो का धोवन सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में लिया जाने पर धोवन का रंग हल्का गुलाबी हुआ तथा जिस पर्स से रिश्वत राशि बरामद हुई उस पर्स का धोवन सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में लिया जाने पर धोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ। पर्स को वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया। आरोपी हेमन्त पालीवाल पटवारी का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में दण्डनीय अपराध होने से आरोपी हेमन्त पालीवाल पटवारी को जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री हेमन्त पालीवाल पटवारी पटवार हल्का गोठडा अतिरिक्त चार्ज रायथल तहसील रायथल जिला बून्दी के विरूद्ध जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रथम दृश्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री हेमन्त पालीवाल पटवारी पटवार हल्का गोठडा अतिरिक्त चार्ज रायथल तहसील रायथल जिला बून्दी के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते क्रमांकन ब्यूरो मुख्यालय जयपुर प्रेषित है। (डॉ. प्रेरणा शेखावत) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बून्दी........... कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट डॉ. प्रेरणा शेखावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बून्दी ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) में आरोपी श्री हेमन्त पालीवाल पुत्र भगवती प्रसाद उम्र 30 साल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम कोडिजा तहसील रायथल जिला बून्दी हाल पटवारी पटवार हल्का गोठडा अतिरिक्त चार्ज रायथल, तहसील रायथल जिला बून्दी के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉं नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री राजपाल सिह, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टचार निरोधक ब्यूरो, कोटा ग्रामीण, कोटा को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 487 पर अंकित है। (कालूराम रावत) उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1204-1207 दिनांक 01-10-2024 प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोटा। 2-जिला कलक्टर, बून्दी। 3-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा। 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बून्दी। उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

**or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम ):** RAJPAL SINGH TANWAR **Rank (पद):** निरीक्षक

**No(सं.):** **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

**or (के कारण इंकार किया, या)**

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

**on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .**

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

**(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)**

**R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)**

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

**Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)**

Signed by: Kalu Ram Rawat
Location: Rajasthan,IN
Date: 01/10/2024 19:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

**Name(नाम):** KALU RAM RAWAT

**Rank (पद):** Dy. IG (Deputy Inspector General)

**No(सं.):**

**Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):**

**Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen )
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))**

| S.No.(क्र.सं.) | Sex (लिंग) | Date/Year of Birth ( जन्म तिथि / वर्ष) | Build (बनावट) | Height(cms.) (कद(से.मी)) | Complexion (रंग ) | Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Male | 17/01/1995 | | | | |

| Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ) | Teeth (दाँत) | Hair (बाल) | Eyes (आँखें) | Habit(s) (आदतें) | Dress Habit(s) (पहनावा) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | |

| Language /Dialect (भाषा /बोली) | Place Of(का स्थान) | | | | | Others (अन्य) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Burn Mark (जले हुए का निशान) | Leucoderma (धवल रोग ) | Mole (मस्सा) | Scar (घाव) | Tattoo (गूदे हुए का) | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | |

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
**(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)**